

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 जनवरी, 2018

विषय :- बदायूँ में मेरठ-बदायूँ मार्ग एच०एच०-18 के किमी० 163.000 से 208.400 तक किमी० चैनैज 162.000 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 64.6 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

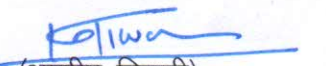
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-08बी/यू.पी. /06/53/2017/एफसी/739 दिनांक 02.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई हैं। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2203/बदायूँ/23705/2017, दिनांक 19.01.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए शासन को पृष्ठांकित की गयी है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 19.01.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-156(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।